रजिस्टर्ड नं० पी०/एस०एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 17 सितम्बर, 1988/26 भाद्रपद, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 1987

संख्या एस० टी० वी० (टी० ई०) (बी०) (2) 7/85.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में अधीक्षक ग्रेड-III (वर्ग-III राजपत्रित) पद की बाबत संलग्न उपाबन्ध "अ" के अनुसार निम्नलिखित भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में अधीक्षक ग्रेड-III (वर्ग-III अनुसचिवीय) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1987 है।

2120-राजपत्र/88-17-9-88—1,327. मूल्य : 20 पैसे।

(2) ये नियम इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान, अर्हताएं और भर्ती की पद्धति.—हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में अधीक्षक ग्रेड-III के पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान, अर्हताएं और भर्ती की पद्धति ऐसी होगी जैसी कि उपाबन्ध "अ" में विनिर्दिष्ट है ।

3. निरसन और व्यावृत्ति.—तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में इन नियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व अधीक्षक ग्रेड-III के पद के लिए यथा लागू भर्ती और प्रोन्नति नियम एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु ऐसे निरसन से, कथित नियमों के पूर्व प्रवर्त्तन का उनके अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

———

उपाबन्ध "अ"

तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हिमाचल प्रदेश में अधीक्षक ग्रेड-III (वर्ग-III) (अराजपत्रित) के पद के लिये भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम	अधीक्षक ग्रेड-III
2. पदों की संख्या	1 (एक)
3. वर्गीकरण	वर्ग-III (अराजपत्रित)
4. वेतनमान	रु0 750—1300
5. चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन
6. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु	लागू नहीं :

परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा, तदर्थ या संविदा पर नियुक्ति सहित, पहले ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक्वय हो गया हो तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में उतना ही शिथिलीकरण किया जा सकेगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों क सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत

	पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारी-वृन्द को नहीं दी जायेगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किये गय थे/किये गये हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों क प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किये गये हैं/किये गय थे । टिप्पणी-1.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिन से की जाएगी जिसमें आवेदन आमंत्रित करने के लिए पद विज्ञापित या नियोजनालयों को अधिसूचित किए जाते हैं । टिप्पणी-2.—अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अर्हताएं आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी ।
7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	लागू नहीं ।
8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।
10. भर्ती की पद्धति.—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।
11 प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां, जिसमें प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा,।	अधीक्षक ग्रेड-IV में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका (31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा सहित) तीन वर्ष का सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर अधीक्षक ग्रेड-IV में से प्रोन्नति द्वारा जिनका (31-12-1983 तक की गई तदर्थ सेवा सहित) अधीक्षक ग्रेड-IV/लेखाकारों/सहायकों/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में कम से कम पांच वर्ष का संयुक्त सेवाकाल हो । टिप्पणी-1.—प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा-विहित सेवाकाल के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, हिसाब में ली जाएगी :— (क) उन सभी मामलों में जहां कोई कनिष्ठ व्यक्ति संभरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-12-83 तक की गई कुल तदर्थ सेवा को शामिल करके) के आधार पर

	उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार के लिए पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार के लिए पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे : परन्तु प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले सभी पदधारियों की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हताएं सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होनी चाहिए : परन्तु यह और कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षताओं के कारण प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र हो जाता है वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा । (ख) इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर विधिमित नियुक्ति से पूर्व 31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए हिसाब में ली जाएगी : परन्तु स्थायीकरण के परिणामस्वरूप तदर्थ सेवा को हिसाब में लेकर पारस्परिक ज्येष्ठता, अपरिवर्तित रहेगी । (ग) 31-12-1983 के पश्चात् की गई तदर्थ सेवा प्रोन्नति/स्थायीकरण के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी । टिप्पणी-2.—जब कभी नियम 2 के अनुसार पदों में बढ़ौतरी होती है तो नियम 10 और 11 के उपबन्ध, सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग के परामर्श से पुनरीक्षित किए जाएंगे ।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना ।	जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है ।
14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा ।	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित अवश्य होना चाहिए :— (क) भारत का नागरिक, या (ख) नेपाल की प्रजा, या (ग) भूटान की प्रजा, या (घ) तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के आशय से प्रवास के लिए आया हो । (ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसने पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका के देशों, कीनिया, यूगांडा, यूनाईटिड रिपब्लिक आफ तंजानिया, (पहले टांगानिका और जंजीबार) जांबिया, मालावी, जेयरे और इथोपिया से भारत में स्थायी निवास के आशय से प्रवास किया हो :

	परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ), और (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया हो। ऐसे अभ्यर्थी को, जिनके मामले में, पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश किया जा सकेगा। किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव, भारत सरकार द्वारा उसे पात्रता का अपेक्षित प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के पश्चात् ही दिया जाएगा।
15. आरक्षण	उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण की बाबत जारी किये गए आदेशों के अधीन होगी।
16. शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को, किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

शिमला-171002, 7 दिसम्बर, 1987

संख्या एस0टी0बी0 (टी0ई0) बी0 (2) 7/85.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक वर्ग-III (अराजपत्रित) पद की बाबत संलग्न उपाबन्ध "अ" के अनुसार निम्नलिखित भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक वर्ग-III (अनुसचिवीय) पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1987 है।

(2) ये नियम इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान, अर्हताएं और भर्ती की पद्धति.—हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान, अर्हताएं और भर्ती की पद्धति ऐसी होगी जैसी कि उपाबन्ध 'अ' में विनिर्दिष्ट है।

3. निरसन और व्यावृति.—तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में इन नियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों के पद के लिए यथा लागू भर्ती और प्रोन्नति नियम एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु ऐसे निरसन से, कथित नियमों के पूर्व प्रवर्तन या उनके अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उपाबन्ध 'अ'

तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हिमाचल प्रदेश में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक
2. पदों की संख्या	दो (2)
3. वर्गीकरण	वर्ग-III (अराजपत्रित)
4. वेतनमान	रुपये 510—940
5. चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन।
6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु।	लागू नहीं :

परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा, तदर्थ या संविदा पर नियुक्ति सहित, पहले ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिवय हो गया हो तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में उतना ही शिथिलीकरण किया जा सकेगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारी-वृन्द को नहीं दी जायेगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गये हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणी—1.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिन से की जाएगी जिसमें आवेदन आमंत्रित करने के लिए पद विज्ञापित या नियोजनालयों को अधिसूचित किए जाते हैं।

टिप्पणी—2.—अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अर्हताएं आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	लागू नहीं ।
8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	आयु: लागू नहीं । शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।
10. भर्ती की पद्धति.—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जायेगा ।	स्टैनो-टाईपिस्टों में से जिनका (31-12-1983 तक की गई तदर्थ सेवा सहित) तीन वर्ष का सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा ।

टिप्पणी-1.—प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व संभरण पद में 31-12-1983 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, हिसाब में ली जायेगी:—

(क) उन सभी मामलों में जहां कोई कनिष्ठ व्यक्ति, संभरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-12-83 तक की गई कुल तदर्थ सेवा को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार के लिए पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार के लिए पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले सभी पदधारियों की कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हताएं सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होनी चाहिए :

परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षताओं के कारण प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र हो जाता है वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा ।

(ख) इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31-12-1983 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए हिसाब में ली जाएगी :

परन्तु स्थायीकरण के परिणामस्वरूप तदर्थ सेवा को हिसाब में ले कर पारस्परिक ज्येष्ठता, अपरिवर्तित रहेगी ।

(ग) 31-12-1983 के पश्चात् की गई तदर्थ सेवा, प्रोन्नति/स्थायीकरण के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी ।

टिप्पणी–2.—जब कभी नियम 2 के अनुसार पदों में बढ़ोतरी होती है तो नियम 10 और 11 के उपबन्ध सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग के परामर्श से, पुनरीक्षित किए जाएंगे ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना । — जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। — जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है ।

14 सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा । — किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित अवश्य होना चाहिए,

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा; या

(घ) तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के आशय से प्रवास के लिए आया हो ;

(ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति, जिसने पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका के देशों, कीनिया, यूगान्डा, यूनाइटिड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पहले तान्गानिका और जन्जीबार), जांबिया, मालावी, जेयरे और इथोपिया से, भारत में स्थायी निवास के आशय से प्रवास किया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग) (घ) और (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो ।

ऐसे अभ्यर्थी को, जिनके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश किया जा सकेगा । किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव, भारत सरकार द्वारा उसे पात्रता का अपेक्षित प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के पश्चात् ही दिया जाएगा ।

15. आरक्षण — उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किये गए आदेशों के अधीन होगी ।

16. शिथिल करने की शक्ति — जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, तो वह, कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को, किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

आदेश द्वारा,
अत्तर सिंह,
वित्तायक्त एव सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।